प्रेषक

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

1- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
वित्त विभाग/संस्थागत वित्त, ऊर्जा, परिवहन, वाणिज्य कर, खाद्य एवं रसद, कृषि, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य, नगर विकास, श्रम, पंचायती राज, बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक कल्याण, सिंचाई, राजस्व, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग, आवास, वन, खनन, गन्ना विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- प्रबन्ध निदेशक, यू.पी.एस.आर.टी.सी., उ0प्र0।
3- महानिदेशक, संस्थागत वित्त, उ0प्र0।
4- अध्यक्ष, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.), बैंक ऑफ बड़ौदा, उ0प्र0।
5- अधिशासी निदेशक, इण्डियन ऑयल कारपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम, उ0प्र0।
6- राज्य प्रबन्धक, इफको, उ0प्र0।

आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 25 मई, 2017

विषयः प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देने के सम्बन्ध में डिजिटल इण्डिया अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017-18 में देश में कुल 2500 करोड़ डिजिटल पेमेन्ट ट्रान्जेक्शन्स पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसमें से उत्तर प्रदेश राज्य में 312 करोड़ (12.4) डिजिटल पेमेन्ट ट्रान्जेक्शन्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में डिजिटल पेमेन्टस के विभिन्न माध्यम यथा- ***एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.एम.पी.एस., क्रेडिट कार्ड/डैबिट कार्ड, प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.), यू.पी.आई. (भीम), यू.एस.एस.डी. एवं आधार पे*** का उपयोग कर 312 करोड़ डिजिटल पेमेन्ट ट्रान्जेक्शन्स का लक्ष्य प्राप्त किया जाना है।

2- प्रदेश में डिजिटल पेमेन्ट को बढ़ावा देना भारत सरकार की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक हैं, जिसके माध्यम से देशा की अर्थव्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा। इस क्रम में अवगत कराना हैं, कि केन्द्रीय बजट 2017-18 में डिजीटल पेमेन्टस को बढ़ावा दिये जाने के संबंध में भारत सरकार के संकल्प के अनुक्रम में निम्न बिन्दु महत्वपूर्ण हैं:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

1- देश में वित्तीय वर्ष 2017-18 में यथा-एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस./आई.एम.पी.एस., क्रेडिट कार्ड/ डैबिट कार्ड, प्वाइंट ऑफ सेल (पी.ओ.एस.), यू.पी.आई. (भीम), यू.एस.एस.डी. एवं आधार पे द्वारा 2,500 करोड़ डिजिटल ट्रान्जेक्शन किये जाने हेतु एक मिशन की स्थापना की गयी है।

2- बैंकों द्वारा मार्च, 2017 तक 10 लाख नयी पी.ओ.एस. मशीनों को उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है।

3- सितम्बर, 2017 तक 20 लाख आधार बेस्ड पी.ओ.एस. मशीनों को स्थापित एवं संचालित किये जाने का लक्ष्य है।

4- भीम एप के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दो नई योजनायें यथा-आम जनमानस हेतु रेफ्रिरल बोनस स्कीम तथा व्यापारियों हेतु कैश-बैक स्कीम प्रारम्भ की गयी है।

5- डाकघर, एफ.पी.एस. तथा बैंकिंग संवाददाताओं के माध्यम से ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में डिजीटल पेमेन्ट्स को प्रोत्साहन देना।

6- पेट्रोल पम्प, उर्वरक डिपो, नगर निकायों, ब्लॉक ऑफिस, सड़क परिवहन कार्यालयों, विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, अस्पतालों और अन्य संस्थानों में डिजिटल पेमेन्ट्स को प्रोत्साहन देना।

<u>राज्य से अन्य महत्वपूर्ण अपेक्षायें:-</u>

1- डिजिटल भुगतानों के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिये डिजिटल भुगतान प्लेटफार्म पर सभी भुगतान और प्राप्तियां लाना।

2- एम.ई.आई.टी.वाई. (MeitY) द्वारा डिजाइन किये गये ई.पी.आर. फ्रेमवर्क पर सभी विभागों/ संस्थाओं को डिजिटल पेमेन्ट पर लाना।

3- राज्य द्वारा चलायी जा रही सभी कल्याणकारी योजनाओं में लाभार्थियों के बैंक खातें में आधार कार्ड एवं मोबाईल नम्बर का प्रयोग सुनिश्चित करना जिसमें पी.एफ.एम.एस./डी.बी.टी. सम्मिलित है।

4- एन.आई.सी., बैंकों एवं वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदत्त डिजिटल भुगतान से सम्बन्धित प्रणालियों का प्रयोग करना।

5- राज्य सरकार के विभागों एवं आम नागरिकों को डिजिटल भुगतान के लिये प्रेरित करने हेतु रणनीति निर्धारित करना।

6- उत्तर प्रदेश में वर्ष 2017-18 में कुल 312 करोड़ डिजिटल ट्रान्जेक्शन होने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसकी प्राप्ति के लिये राज्य में भुगतान से सम्बन्धित इन्फ्रास्ट्रक्चर का लक्ष्य निर्धारण करते हुए शीघ्रता से प्रयोग में लाना होगा। इसके अतिरिक्त डिजिटल लेन-देन करने वाले उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के लिये योजनायें भी बनानी होंगी।

3- एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार से प्राप्त गाइडलाईन्स/फ्रेमवर्क डॉक्यूमेन्ट **Electronics Payments and Receipts (EPR) Frame Work** (संलग्नक-1) का सन्दर्भ ग्रहण करने का भी कष्ट करें जिसका उपयोग कर विभाग अपने से सम्बन्धित सेवाओं का वर्गीकरण 03 श्रेणियों में करते हुए एक कार्ययोजना बनायेगें एवं इस कार्ययोजना के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2017-18 में डिजिटल पेमेन्ट के निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु सघन प्रयास करेगें।

4- अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके विभागों द्वारा काफी संख्या में डिजिटल पेमेन्ट ट्रांजेक्शन्स किये गये हैं, जिसके क्रम में वित्तीय वर्ष 2017-18 हेतु अनुमानित लक्ष्य (संलग्नक-2) निर्धारित किये गये है। इस हेतु विभाग निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

लक्ष्य पर अपना अभिमत देते हुए (संलग्नक-3) के प्रारूप के अनुसार समस्त सूचनाये श्री संजय शर्मा, वरिष्ठ सलाहकार, एसईएमटी के ई-मेल आईडी (sanjay.sharma@semt.gov.in) पर दिनांक 27-5-2017 तक उपलब्ध कराते हुए उसकी प्रति आईटी एवं इले0 विभगा को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

5- उक्त के क्रम में ही संस्थागत वित्त विभाग, बैंक ऑफ बड़ौदा, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एस.एल.बी.सी.), उ0प्र0 से समन्वय स्थापित करते हुए उनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में पूर्ण किये गये डिजिटल ट्रांजेक्शन्स् एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में किये जाने वाले डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के त्रैमासिक लक्ष्य (संलग्नक-4) की समस्त सूचनाये बिन्दु संख्या-4 में उल्लिखित ई-मेल आईडी पर दिनांक 27-5-2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं, कि कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से तत्काल शासन को अगवत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

संजीव सरन
अपर मुख्य सचिव

संख्या-1148/78-2-2017 तददिनाँक

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
2- निजी सचिव, विशेष सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन।
3- राज्य समन्वयक, सेन्टर फॉर ई-गवर्नेन्स, उ.प्र., अपट्रान बिल्डिंग, गोमती नगर, लखनऊ।
4- एस.आई.ओ., एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ, उ0प्र0।
5- हेड, एस.ई.एम.टी., उ0प्र0।
6- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महेन्द्र प्रसाद भारती)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।